जीएम फसलें और विज्ञान अकादमियां

गौतम आई. मेनन एवं राहुल सिद्धार्थन

विज्ञान, इंजीनियरिंग और चिकित्सा क्षेत्र की छह प्रमुख भारतीय अकादमियों ने हाल ही में जिनेटिक रूप से परिवर्तित (जीएम) फसलों, खासकर बीटी बैंगन पर एक संयुक्त रिपोर्ट केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री जयराम रमेश को सौंपी है। मंत्री ने यह कहकर रिपोर्ट की कटु आलोचना की है कि 'इसे देखकर ऐसा नहीं लगता है कि इसमें कोई कठोर वैज्ञानिक मूल्यांकन किया गया हो। इसमें एक भी उद्धरण या संदर्भ नहीं दिया गया। इसलिए इससे पता ही नहीं चलता कि लेखकगण अपने निष्कर्षों पर कैसे पहुंच गए। यहां तक कि रिपोर्ट यह भी नहीं बताती कि इसमें किन लोगों से परामर्श किया गया।' इससे भी बदतर, रिपोर्ट में कई हिस्से जैव प्रौद्योगिकी विभाग के न्यूज़लेटर में पी. आनंद कुमार द्वारा लिखे गए एक आलेख से शब्दशः उठा लिए गए हैं और वह भी आभार प्रकट किए बगैर। इन अकादमियों ने इस रिपोर्ट को सार्वजनिक रूप से जारी नहीं किया। इसे कुछ दूसरे लोगों ने ज़रूर इंटरनेट पर जारी किया है:

www.countercurrents.org/dsharma270910.htm

हमने रिपोर्ट के बीटी बैंगन वाले हिस्से की पड़ताल की तो पाया कि इस खंड के चार पन्नों में केवल एक पैराग्राफ को छोड़कर अन्य सभी पैराग्राफ आनंद कुमार के आलेख से उतारे गए थे (कहीं-कहीं छिटपुट बदलाव के साथ)। शेष रिपोर्ट में भी इतने व्यापक चर्चा वाले विषय पर बेहद उथला दृष्टिकोण पेश किया गया है जो निराशाजनक है। इससे पहले 9 फरवरी 2010 को मंत्री ने जो रिपोर्ट तैयार करवाई थी, वह कहीं अधिक ठोस और प्रभावी है। (यह रिपोर्ट वन एवं पर्यावरण विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है - http://moef.nic.in/downloads/public-information/minister_REPORT.pdf)।

जैसा कि कृषि विशेषज्ञ देविंदर शर्मा कहते हैं, ये अकादमिक संस्थान उन कई सवालों का जवाब देने में विफल रहे जो मंत्री ने उठाए थे। मंत्री ने सवाल उठाया था कि बैंगन में ज़हरीले तत्व, जो आम तौर पर दबे रहते हैं, चयापचय की प्रक्रिया में परिवर्तनों के चलते क्या उभरकर सामने आ सकते हैं? अकादमिक संस्थानों की रिपोर्ट में इस चिंता का उल्लेख तक नहीं किया गया। मोनोकल्चर के खतरों को लेकर केवल एक पैराग्राफ में चिंता जताई गई है, और सामाजिक-आर्थिक प्रभावों की भी बेहद सतही ढंग से चर्चा की गई है। कई पन्ने हाईस्कूल स्तर के जीव विज्ञान पर काले कर दिए गए हैं।

केंद्रीय मंत्री के अनुरोध पर हमारे शीर्षस्थ अकादमिक संस्थानों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व के ऐसे नीतिगत मसले पर इस तरह की व्यर्थ रिपोर्ट पेश करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इस रिपोर्ट का इस्तेमाल तो यह बताने में होना चाहिए कि कोई वैज्ञानिक रिपोर्ट या किसी विज्ञान सम्बंधी मुद्दे पर नीतिगत अनुशंसा किस तरह से नहीं दी जानी चाहिए। इससे निम्न बिंदु उभरकर सामने आते हैं :

पहला, रिपोर्ट में अपने स्रोत का हमेशा उल्लेख करना चाहिए। यदि किसी दस्तावेज़ में आंकड़े भरपूर हैं, लेकिन उसमें यह नहीं बताया जाता है कि वे कहां से लिए गए हैं तो उस पर आम तौर पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए।

दूसरा, लेखन की जवाबदेही स्पष्ट होनी चाहिए। इस रिपोर्ट में छह अकादमियों के अध्यक्षों के नाम को छोड़कर इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि इसे तैयार किसने किया। आज खासकर जैव-चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में तैयार किए जाने वाले दस्तावेज़ों में न केवल लेखकों के नाम की सूची दी जाती है, बल्कि व्यक्तिगत योगदान का भी उल्लेख किया जाता है। मिसाल के तौर पर जलवायु परिवर्तन पर आई.पी.सी.सी. की रिपोर्ट देखें। इस रिपोर्ट में न केवल आई.पी.सी.सी. के अध्यक्ष का नाम दिया गया है, बल्कि प्रत्येक उस व्यक्ति का नाम और उसके संस्थान का भी उल्लेख है, जिसने रिपोर्ट तैयार करने में वैज्ञानिक सहयोग दिया। दुनिया में किसी बड़े विज्ञान संस्थान द्वारा तैयार

किया गया ऐसा कोई वैज्ञानिक नीतिपत्र या दस्तावेज़ नहीं होगा जिसमें लेखकों के नाम छोड़ दिए गए हों।

तीसरा, हितों के टकराव साफ होना चाहिए। यह भी एक मान्य परंपरा है और खासकर उन क्षेत्रों (जैसे दवा निर्माण या कृषि) में बहुत महत्त्वपूर्ण है जहां व्यापक व्यावसायिक हित जुड़े होते हैं। इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि लेखकों के नामों का खुलासा सबसे पहले अनिवार्य है।

इन अकादमियों ने लेखकों के नामों का उल्लेख न करने को सही ठहराने की कुछ कोशिश की है। पहली, चूंकि इसमें बड़ी संख्या में अकादमिक सदस्यों का प्रतिनिधित्व है, इसलिए किसी भी नाम का उल्लेख करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी, इस दस्तावेज़ को तैयार करने की विधि के बारे में शुरू में ही साफ कर दिया गया है। दस्तावेज़ में संदर्भों की कमी को जायज़ ठहराने के लिए तीसरा और बहुत ही अनूठा तर्क भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी (आई.एन.एस.ए.) के पूर्व प्रमुख द्वारा दिया गया है। वे कहते हैं, "जैसे किसी समाचार-पत्र के लेख में उन विशेषज्ञों के नामों का उल्लेख नहीं किया जाता जिनसे बात करके लेखक अपनी राय बनाता है, उसी तरह कभी-कभार समितियां और अकादमी की रिपोर्ट्स सामूहिक विशेषज्ञ राय प्रस्तुत करती हैं और संदर्भों से दूर रहती हैं।"

इन तर्कों से हम सहमत नहीं हैं। इस तरह की रिपोर्ट इन संस्थानों के हज़ारों लोगों द्वारा सामूहिक रूप से तैयार नहीं की जाती। ये बहुत ही छोटे समूह द्वारा तैयार की जाती है जिसका कार्य इनपुट और फीडबैक एकत्रित करना व मिलाना, जांचना और उन्हें परिमार्जित करना होता है। साथ ही अनुशंसाओं के लिए विशेषज्ञ ज्ञान देना होता है। इसलिए लेखक सदस्यों के नाम और उनके हितों के टकराव के बारे में जानकारी देना अनिवार्य होता है। अगर यह दस्तावेज़ बहुत बड़ी और अच्छी तरह से प्रमाणित किसी रिपोर्ट का सार होता तो इन तर्कों को कुछ हद तक स्वीकार किया जा सकता था। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। अखबारी आलेख के साथ इसकी तुलना गलत की गई है। इस तरह का नीतिगत दस्तावेज़ अखबारी लेख से अलग होता है, जैसे : अखबारी लेख किसी लेखक के नाम से लिखे जाते हैं, इनमें कोई विशिष्ट (कभी-कभी विवादास्पद) विचार होता है और ज़रूरी नहीं होता है कि किसी तर्क के दोनों पहलुओं का तटस्थ भाव से मूल्यांकन किया जाए। ऐसे लेख सार्वजनिक दस्तावेज़ होते हैं और उन्हें सार्वजनिक रूप से सबके सामने रखना पड़ता है ताकि लोग उन पर बहस कर सके। और अखबार में लेख राष्ट्रीय महत्त्व के मुद्दों पर निष्पक्ष परामर्श देने के लिए नहीं लिखे जाते।

संतोष की बात यह है कि भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के अध्यक्ष एम. विजयन ने रिपोर्ट में दूसरे दस्तावेज़ों की नकल करने सम्बंधी आरोपों पर चिंता जताई है। एक समाचार एजेंसी से उन्होंने कहा, 'यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे हम स्तब्ध हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था।' एक अन्य न्यूज़ रिपोर्ट में कहा गया है कि राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी ने यह कहते हुए रिपोर्ट से अपने को अलग कर लिया है कि वह परामर्श प्रक्रिया और संभावित नकल सम्बंधी मुद्दे से नाराज़ है। लेकिन साहित्यिक चोरी या दूसरे दस्तावेज़ों की नकल ही अकेली समस्या नहीं है। हमने महसूस किया कि अकादमियों के अध्यक्ष तब तक रिपोर्ट के साथ अपने नाम जोड़े जाने के इच्छुक थे, जब तक कि विवाद खड़ा नहीं हुआ था। विजयन के बयान के अलावा अकादमियों की ओर से सार्वजनिक खेद जैसा कुछ भी व्यक्त नहीं किया गया।

आखिर यह पूरा प्रकरण भारत में वैज्ञानिक गतिविधियों के नैतिक मूल्यों के बारे में क्या कहता है? यहां ज़रूरत कार्रवाई की है। सबसे पहले तो इस रिपोर्ट के लेखकों के नाम उजागर किए जाने चाहिए। फिर इस बात का भी खुलासा होना चाहिए कि रिपोर्ट को मंत्रालय में भेजने के लिए उसका अनुमोदन किसने किया। इसके बाद अकादमियों को ऐसी गाइडलाइन तैयार करनी चाहिए जो भविष्य में इस तरह के दस्तावेज़ों के लिए मानक निर्धारित कर सके।

कुछ अकादमियों में नैतिकता समितियां बनी हुई हैं, लेकिन ये समितियां करती क्या हैं, यह बात सार्वजनिक तौर पर बहुत कम सामने आई है। यदि समितियों को लगता है कि उन्हें कुछ करना है तो इस रिपोर्ट से शुरुआत की जा सकती है। ***(स्रोत फीचर्स)***